न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 51/2016

उनवान

1 गोविन्द राम पिता चिरंजीलाल ब्राहमण उम्र—वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
——— वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री अमन औझा
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक — 18.08.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कनेछनकलां प.ह.क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित साबिक आराजी संख्या 1026 रकबा 2.05 बीघा भूमि दिनांक 19.06.1989 को वादी को आंवटित हुई। जिसका कब्जा दिनांक 25.05.1990 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को सम्भला दिया गया। उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई। तब से आदिनांक तक वादी मौके पर काबिज हो, भूमि पर काश्त कर रहा है। साबिक खसरा संख्या 1026 से पैमाईश कार्यवाही में निर्मित नवीन नम्बर 3890 रकबा 0.50 हैक्टयर कायम हुए। भू—प्रबन्ध कार्यवाही में वादी की आवंटनशुदा कृषि भूमि को बिनालाम सरकार दर्ज कर दिया गया।

यह गलत ईन्द्राज अभिलेख को प्रथम दृष्ट्या देखने से दृष्टिगत होता है। यह त्रूटीपूर्ण ईन्द्राज आदिनांक तक अनवरत रूप से चला आ रहा है।

अतः ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनकलां स्थित हाल खसरा संख्या 3890 रकबा 0.50 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलखों में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की घोषणात्मक डिक्री सादर फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 05.08.2005 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फूलियाकलां की ओर से प्रतिरोध/खण्डन में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादी के दोषयुक्त वादपत्र प्रस्तुत किए जाने का कथन कर, वादपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का अनुरोध किया।

(2)

विपक्षी का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण मे 01 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिया गया। वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह श्री गोविन्दराम ब्राहमण का शहादत्त में प्रस्तुत शपथ–पत्र को रेकार्ड पर लिया गया। प्रस्तुत कराये गये पी.डब्ल्यू–1 के शपथपत्र पर गवाह के बयान कलमबद्ध किए गये। दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेखों पर लाल स्याही से आवश्यक अंकन किए गये। विहित अवसर दिये जाने के बावजूद पी.डब्ल्यू 01 से विपक्षी द्वारा जिरह कार्यवाही नही किये जाने से विपक्षी का अवसर समाप्त किया गया।

इसी दौरान पत्रावली में नियत शहादत्त प्रतिवादी चरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से विहित समयावधी डी.डब्ल्यू प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त समाप्त की गई। वादी के नियुक्त अधिवक्ता ने मामलें के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस प्रस्तुत करना चाहने से प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई।

उपलब्ध प्रदर्श दस्तावेजात/साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि पैमाईश कार्यवाही में राजस्व अभिलेखों में बदलाव बिना किसी वैध कारण नही किए गये थे। जिससे वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। वादी को कृषि भूमि आंवटन पश्चात वादी का सद्भाविक काश्तकार होने संबंधि शर्तो का पालन किया जाना होता है। आवंटनशुदा भूमि पर आंवटन दिनांक से आदिनांक तक काबिज होने/काश्त करने का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी वादग्रस्त भूमि पर शुरूवात से काबिज हो भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

वादपत्र के माध्यम से साबिक खसरा संख्या 1026 रकबा 2.05 बीघा भूमि दिनांक 19.06.1989 को आवंटित होना एवं दिनांक 25.05.1990 को भूमि की सिपूर्दगी वादी को किया जाना बताया गया है। जबकि वादी ने यह वादपत्र 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात वर्ष 2005 में न्यायालय में प्रस्तुत कराया है। इतनी लम्बी अवधी तक वादी को अभिलेखों में कारित त्रूटी संबंधि जानकारी का अभाव होने के तर्क में संदेह का आभास होता है एवं हेतुक के तौर पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अवगत कराये गये कारण वाजिब, माकूल एंव गजबूरी युक्त नही बल्कि काल्पनिक प्रतीत होते है। वादी द्वारा विरोध में 15 वर्ष तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नही किया जाना सवाल उत्पन्न करता है। वादपत्र अन्दर अवधी नही कर, बैरून मियाद प्रस्तुत किया है। फिर भी दावा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कराने के लिए दफा–5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र अलग से वादी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

(3)

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा शहादत्त वादी में प्रस्तुत शपथपत्र/बयानात, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से न्यायालय वादी के वादपत्र को अस्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट को वाद हेतुक सिद्ध नही होने के कारण मेन्टनेबल नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा